सरकूलर नं0ः अपमा/2016–2018/243 दिनांक : 16–12–2017

''अपमा की 49वीं वार्षिक साधारण सभा सफलता के साथ सम्पन्न''

प्रिय माननीय सदस्यों,

अपमा की 49वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन दिनांक 12 दिसम्बर 2017 को दोपहर 3.00 बजे ''अपमा कार्यालय'' फ्लैट नं0 10, प्रथम तल, वरदान हाउस, चाबी गंज, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 में हुआ। कोरम पूरा न होने के कारण प्रधान श्री आर.के. गुप्ता जी ने सभा को अपमा संविधान की धारा 35(II) के अनुसार आधे घन्टे के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा की पुनः कार्यवाही ठीक साढ़े तीन बजे प्रारम्भ करते हुए। सर्वप्रथम प्रधान श्री आर.के. गुप्ता जी ने आए हुए पूर्व प्रधान श्री चन्द ओबराय जी, श्री वी.ए.दीवान जी एवं श्री नरेन्द्र मदान जी, कार्यकारिणो सदस्यो तथा अपमा सदस्यों का स्वागत किया और प्रार्थना की, कि सभा की कार्यवाही अनुशासित ढंग से चलाई जाए। तत्पश्चात् प्रधान जी ने महासचिव श्री विष्णु भार्गव जी से अनुरोध किया कि वे सभा की आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करें।

महासचिव श्री विष्णु भार्गव जी ने प्रधान जी को धन्यवाद व्यक्त कर सभा की आगे की कार्यवाही प्रारम्भ की एवं सदन में उपस्थित सभी पूर्व प्रधानों, कार्यकारिणी सदस्यों, अपमा सदस्यों का अभिनंदन करते हुए एवं अनुरोध किया कि पिछली वार्षिक साधारण सभा एवं इस वार्षिक साधारण सभा के अन्तराल में जो हमारे प्रिय सदस्य या उनके सगे संबंधी हमसे बिछुड़ गए, उनकी आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धान्जलि दी जाए। दो मिनट के मौन के पश्चात् सभा की कार्यवाही निश्चित एजेण्डे के अनुसार शुरू की गई।

48वीं वार्षिक साधारण सभा की रपट हेतु कार्यकारिणी सदस्य श्री अशोक मदान जी ने अपना अनुमोदन सदन में रखा तथा कार्यकारिणी सदस्य श्री नवीन सचदेवा जी ने अपना समर्थन किया। इसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से अपमा की 48वीं वार्षिक साघारण सभा की कार्यवाही विवरण को पास किया गया। इसके उपरान्त अपमा के वर्ष 2016–2017 के आय–व्यय विवरण को सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया। इस पर श्री सुरेन्दर श्रीवास्तव(डी.पी) जी ने सत्र 2016–2017 के आय–व्यय का लेखा–जोखा हेतु अपना अनुमोदन सदन में रखा तथा अपमा सदस्य श्री अंकित खटट्र जी ने अपना समर्थन किया, इसके बाद सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से आय–व्यय का पारित कर दिया। तद्उपरान्त अपमा के पिछले वर्ष की गतिविधियों का विवरण महासचिव के प्रतिवेदन के माध्यम से लिखित रूप में सभा पटल पर रखा गया। इस पर श्री सुभाष चन्दर बजाज जी ने अपना अनुमोदन सदन में रखा तथा श्री जीवन घई जी ने अपना समर्थन किया, इसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से महासचिव का प्रतिवेदन पास कर दिया। तत्पश्चात् वर्ष 2017–2018 के लिए अपमा के खातों को ऑडिट करने हेतु श्री वरूण कुमार मक्कड़ जी ने अपना अनुमोदन सदन में रखा तथा श्री आसिफ अली जी ने अपना समर्थन किया, इसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से अपमा के खातों को ऑडिट हेतु मै0 जिन्दल एण्ड कम्पनी को ऑडिटर नियुक्त किया गया।

कृ0प0उ0.............2

अन्य विषय में महासचिव श्री विष्णु भार्गव जी ने सदन में कहा कि समय के बदलते परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अपमा संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविधान संशोधन कमेटी गठित की गई, कमेटी बहुत विस्तारपूर्वक काम करना चाहती है इसलिए उनको कुछ समय दिया जाना चाहिए। इस पर उप प्रधान श्री सुरेन्द्र जैन जी ने कहा कि अगली वार्षिक साधारण सभा से पहले संविधान संशोधन किये जाने चाहिए। कार्यकारिणी सदस्य श्री इन्द्रजीत सिंह जी एवं निवर्तमान प्रधान श्री रामदास कुकरेजा जी ने कहा कि प्रधान, महासचिव को कमेटी में जोड़ना चाहिए। इस पर जनसम्पर्क अधिकारी श्री राकेश कुमार जी ने कहा कि अपमा की सभो उप कमेटियों में प्रधान एवं महासचिव Ex-offices सदस्य होते है। इसके बाद सदन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कार्यकारिणी बैठक में संविधान संशोधन कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यकारिणी बैठक में पारित कर उनको आगामी वार्षिक साधारण सभा में रखकर पारित करवाकर अपमा संविधान संशोधन करने की अनुमति प्रदान की।

अपमा सदस्य श्री अंकित खटटर जी ने कहा कि बिल्टो पर अतिरिक्त शुल्क लिये जाने पर ठोस कदम उठाये गये सराहनीयपूर्ण है परन्तु अभी और कार्य करना बाकी है। इस पर महासचिव श्री विष्णु भार्गव जी ने कहा कि संस्था अपनी तरफ से आगे और भी ठोस कदम उठायेगी लेकिन यह तभी कारगर होगें जब व्यापारी भाई कंधे से कंधा मिलाकर संस्था के साथ खड़े होगें, माल भेजने से पहले व्यापारी भाईयों को ट्रॉन्सपोर्ट से पूछना चाहिए कि बिल्टो शुल्क के अलावा अतिरिक्त शुल्क तो नहीं ले रहें है। इसके बाद महासचिव श्री विष्णु भार्गव जी ने कहा कि अपमा के प्रयासों से ट्रॉन्सपोर्ट एसोसियेशन ने अपने सदस्यों को अतिरिक्त शुल्क न लेने के सरकूलर जारी किये हैं लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए अपमा आगे की दिशा निर्धारित कर रहो है। इसके बाद पूर्व प्रधान श्री नरेन्द्र मदान जी ने कहा कि संस्था की तरफ से कश्मीरी गेट की सभी ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों को पत्र देना चाहिए कि बिल्टी के अतिरिक्त शुल्क ले, लेकिन जो शुल्क ले रहें है उसका बिल भी दें, इसके लिए उनको एक सप्ताह का समय दिया जाए, उसके बाद अपमा कार्यकारिणी सदस्यों को मिलकर उन ट्रान्सपोर्ट कम्पनियों में जाना चाहिए जो बिल्टी के अतिरिक्त शुल्क लेगें। इसके बाद पूर्व प्रधान श्री नरेन्द्र मदान जी ने कहा कि मार्किट की सफाई व्यवस्था, लाईट की व्यवस्था, कानून व्यवस्था की समस्या इत्यादि सम्बंधित विभागों के अधिकारियों, विधायक एवं निगम पार्षद को बैठक में समय–समय पर आमंत्रित कर उनके समक्ष मार्किट की समस्याए रखनी चाहिए।

मित्रों, वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम रही है, यह संस्था आपके हित के लिए काम कर रही है। आशा है कि आप आगामी वार्षिक सभा में बढ़–चढ कर भाग लेंगे।

अन्त में प्रधान श्री आर.के. गुप्ता जी ने सभी पूर्व प्रधानों, पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों, अपमा सदस्यों का आभार व्यक्त किया एवं सभी से जलपान ग्रहण करने हेतु अनुरोध किया। राष्ट्रगान के बाद प्रधान श्री आर.के. गुप्ता जी द्वारा 49वीं वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति की घोषणा कर दी गयी।

सरकूलर नं0ः अपमा/2016–2018/244 **"HOLIDAY"**

The Members of the Trade are informed that the Market will remain closed due to :-

01. "GURU GOVIND SINGH JI BIRTHDAY" on MONDAY, the 25th DECEMBER, 2017".